

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल(विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011

क्र. ३/१८ /नातौ/अ-१(१)प्रवर्तन/२०११

भोपाल, दिनांक: ०५/१०/११

—:: आदेश ::—

विधिक मापविज्ञान अधिनियम, २००९ की धारा ४८ (३) सहपठित मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, २०११ के नियम २३ (२) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं एस. के. जैन नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, मध्यप्रदेश एतद्वारा समस्त उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान को उनके कार्यक्षेत्र के अधीन पदस्थ निरीक्षकों द्वारा दर्ज अपराध प्रकरणों में से, धारा ४९ में वर्णित व्यक्तियों के प्रकरणों को छोड़कर, शेष प्रकरणों के लिये उपरोक्त नियम २३ (१) में अपेक्षानुसार आवेदन प्राप्त होने पर धारा ४८ के प्रावधानों अनुसार शमत किये जाने हेतु अधिकृत करता हूँ।

५/१०/११
(एस. के. जैन)

नियंत्रक,
विधिक मापविज्ञान,
म.प्र. भोपाल

फोन. ०७५५-२५५१०१७

भोपाल, दिनांक: ०५/१०/११

पृक्र. ३/१९ /नातौ/अ-१(१)प्रवर्तन/२०११

प्रतिलिपि :-

- १— संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी, विधिक मापविज्ञान, मुख्यालय।
- २— समस्त उप/सहायक नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आप विधिक मापविज्ञान अधिनियम, २००९ की धारा ४९ का विस्तृत अध्ययन कर लें। आप शमन किये जाने संबंधी जारी किये जाने वाले आदेश में संबंधित द्वारा किस प्रावधान का उल्लंघन किया है वह स्पष्टतः उसके नाम के समक्ष अंकित करेंगे। आपकी सुविधा हेतु एक प्रारूप इस संबंध में संलग्न प्रेषित किया जा रहा है, इसमें आप रांशे न जमा होने की स्थिती में प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने की स्वीकृति भी दी जाने की व्यवस्था की गई है।
- ३— निरीक्षक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

५/१०/११
नियंत्रक,

विधिक मापविज्ञान,
म.प्र. भोपाल